[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 19/2020- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई, 2020

सा.का.नि. ... (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "फ्लूओरोइलास्टोमर्स (FKM)" के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिकरण अधिसूचना संख्या 7/3/2020-डीजीटीआर, दिनांक 7 फरवरी, 2020, जिसे दिनांक 7 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अवधि तक जारी रखने का अनुरोध किया है।

अत: अब, उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) अंक “3904 90 00” जहाँ कहीं भी आते हों, के स्थान पर अंक “3904 90 90” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 27 अक्तूबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है या इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो, लागू रहेगा ।”

[फाइल संख्या 354/10/2019-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 6/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2019, को सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था ।